राजस्थान RAJASTHAN

R 408025

श्री पुष्कर गौतमाश्रम ट्रस्ट समिति का संशोधित विधान
ड्राफ्ट ट्रस्ट डीड श्री पुष्कर गौतमाश्रम पुष्कर

हम (1) पूसालाल उपाध्याय पुत्र श्री मगनीराम जी उपाध्याय हाल निवासी अजमेर भूतपूर्व मंत्री प्रबन्धकारिणी समिति श्री पुष्कर गौतमाश्रम (2) जगन्नाथ उपाध्याय पुत्र श्री रामगोपाल जी उपाध्याय निवासी अजमेर मंत्री प्रबन्धकारिणी समिति श्री पुष्कर गौतमाश्रम (3) शिवकरण सिंवाल पुत्र श्री रामगोपाल जी सिंवाल निवासी ग्राम भैरून्दा हाल निवासी सोलापुर, प्रधान ट्रस्ट डीड निर्माण समिति श्री पुष्कर गौतमाश्रम समस्त गुर्जर गौड ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि रूप से अजमेर राज्यान्तर्गत तीर्थराज पुष्कर मे स्थित श्री पुष्कर गौतमाश्रम पुष्कर जिसकी स्थापना कतिपय श्रद्वालु जाति बन्धुओं द्वारा विगत कई वर्षो पूर्व क्रय पत्र दिनांक 05 फरवरी 1902 ई. जिसकी रजिस्ट्री बही नम्बर 1 जिल्द सख्या 207 सफा 374 ता. 376 नम्बर 177 पर महकमे रजिस्ट्री अजमेर मे हुई है, द्वारा प्राप्त की गई भूमि पर हम लोग जो जाति के अन्यान्य अनके बन्धुओं के परिश्रम व सद उद्योग से देश के विभिन्न प्रान्तो, नगरों व ग्रामों के निवासी जाति बन्धुओं से दान-दक्षिणा भेट-चन्दे आदि के रूप मे लगभग 80 हजार रूपये की रकम एकत्रित करके श्री पुष्कर गौतमाश्रम मे महर्षि श्री गौतम जी महाराज की मूर्ति प्रतिष्ठापित करवाकर एवं पूर्वोत्तर दिशा मे सुविशाल पाकशाला व शौचालय आदि दक्षिण मे बरामदे, सोपान तथा मुख्य तोरण द्वार आदि पश्चिम

.....2

मंत्री अध्यक्ष कोषाध्यक्ष
श्री पुष्कर गौतम आश्रम ट्रस्ट समिति
पुष्कर-अजमेर (राज.)

मे चबूतरियां आदि जिनकी चौहद्दी निम्न रूपेण है, निर्माण करवाकर इस आश्रम को भव्य, रम्य एवं सुमनोहर स्वरूप दे दिया है।

उत्तर मे :- भाराजी शामलात कमेटी पुष्कर की भूमि जिस पर कि नवनिर्मित हैलोज रोड
:- (वर्तमान मे नागौर रोड) तक उगे हुए समस्त वृक्ष व पेड पौधो आदि भी पुष्कर
:- गौतमाश्रम द्वारा ठेके पर प्राप्त किये हुए है।

दक्षिण मे :- जनसाधारण मार्ग।

पूर्व मे :- श्री स्वामी वीर राघवाचार्य जी महाराज द्वारा प्रदत्त श्री खाण्डल विप्र भवन

पश्चिम में :- जनसाधारण मार्ग

हम लोग अब तक दान दक्षिणा भेंट व चन्दे आदि द्वारा अर्जित राशि से इस आश्रम का संचालन अनेक जाति बन्धुओं के सहयोग से करते आ रहे है। किन्तु इतना सब कुछ होते हुए भी इस आश्रम के मुख्य उद्वेश्य पूर्णरूपेण साकारता को प्राप्त नही हुए है और भविष्य मे उनको सांस्कृतिक व कलात्मक स्वरूप देना शेष है। अत: यह अति आश्यक है कि अभीष्ट उद्वेश्यों की पूर्ति के लिये तथा आश्रम की उत्तरोत्तर उन्नति, विकास, सुरक्षा व सुचारू व्यवस्था के लिये गुर्जर गौड ब्राह्मण समाज के धनी, मानी प्रतिष्ठित, विद्वान, कर्मठ व त्यागी महानुभावों का सर्व प्रकार से सहयोग पूर्ण अनिवार्य हे अतएव हम आश्रम के हित मे अनुभव करते है कि उपर्युक्त कार्यो के लिये जाति के सुयोग्य सज्जनों का एक ट्रस्ट निर्माण किया जाये। एतदर्थ हम लोग आज शुभ मिति ज्येष्ठ कृष्णा प्रतिपदा शुक्रवार तदनुसार तारीख 25 मार्च 1956 को आश्रम की इस परम पुनीत भूमि पर देश के अनेकानेक प्रान्तो, नगरों तथा ग्रामों से एकत्रित जातिय बन्धुओं के समक्ष उनकी सम्मति व स्वीकृति से बिना किसी दबाव व प्रभाव के 31 संशोधित सख्या (71) सन् 2007 पुन: संशोधित 111 सन् 2021 सुयोग्य जाति बन्धुओं की ट्रस्ट समिति नियुक्त करते है और इस आश्रम का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व, स्वत्वाधिकार व समस्त कार्यभार सौंप देते है। हमें पूर्ण विश्वास है कि ट्रस्ट समिति के सदस्य इस गुरूतर भार को पूर्ण योग्यता, तत्परता व नि:स्वार्थ भाव से निभाते हुए हमारी महत्वाकांक्षाओ को मूर्त रूप देगे।

2. प्रान्तवार तत्कालीन संस्थापक न्यासियों का विवरण एवं न्यासियों की वर्तमान संवर्धित संख्या का प्रान्त, संभाग, व जिले के अनुसार उल्लेख निम्नानुसार किया जाता है :-

(क) अजमेर नगर - 11 संवर्धित (14)

1. श्री प.पूसालाल उपाध्याय
2. श्री प.जगन्नाथ उपाध्याय
3. श्री प.गंगाधर मुन्शी
4. श्री प.अमरचन्द व्यास
5. श्री प.कैलाश नारायण तिवाडी

.....3

मंत्री अध्यक्ष कोषाध्यक्ष
श्री पुष्कर गौतम आश्रम ट्रस्ट समिति
पुष्कर-अजमेर (राज.)

(ख) अजमेर जिला - 11 संवर्धित (14)

1. श्री प.गंगाविशन जोशी, ब्यावर
2. श्री प.चांदमल जोशी, पीसांगन
3. श्री प.गणेशीलाल तिवाडी, मसूदा
4. श्री प.भवंरलाल उपाध्याय, झीपिया
5. श्री प.श्रीधर चौबे, बघेरा

(ग) राजस्थान जोधपुर संभाग (15) संवर्धित (21)

जोधपुर(4) पाली(4) नागौर(8) बीकानेर(2) बाडमेर(1) जैसलमेर(1) सिरोही, जालौर (1)

1. श्री प.लादूराम तिवाडी, नीमडी
2. श्री प.कुनणमल उपाध्याय, लांपोलाई
3. श्री प.भवंरलाल तिवाडी, लाडवा
4. श्री प.रामदयाल तिवाडी, जैतारण
5. श्री प.आशाराम मास्टर, बगडी
6. श्री प. हीरालाल जोशी, लीलाम्बा

(घ) राजस्थान उदयपुर संभाग (12) संवर्धित (17)

उदयपुर(3) भीलवाडा(6) चितौड(3) राजसमन्द(3) डूंगरपुर बांसवाडा(1) प्रतापगढ(1)

1. श्री प. रामलाल जोशी, देवगढ
2. श्री प.वृद्धिशंकर वकील, चितौड
3. श्री प.चन्द्रशेखर श्रोत्रिय, भीलवाडा
4. श्री प.दयाशंकर शास्त्री, सेमलिया, गंगरार
5. श्री प.श्रीधर शास्त्री, बदनोर

(ड) राजस्थान जयपुर संभाग (07) संवर्धित (15)

जयपुर(3) सवाईमाधोपुर(1) कोटा(2) बून्दी(1) टोंक(1) सीकर(1) झूंझूनु(1) चुरू(1) गंगानगर हनुमानगढ(1) बांरा झालावाड(1) दौसा अलवर(1) धौलपुर, करौली, भरतपुर(1)

1. श्री प.विजयशंकर वैद्य, जयपुर
2. श्री प.राजकुमार जी, जयपुर

(च) उत्तरप्रदेश (2), संवर्धित (5)

उत्तर भारत

दिल्ली(1) उत्तरप्रदेश(1) पंजाब चण्डीगढ(1) हरियाणा(1) उत्तराखण्ड, हिमाचल, जम्मु कश्मीर(1)

1. श्री प.गोस्वामी नवादित्यलालजी, आगरा
2. श्री प.चतुर्भुज जी तिवाडी, कानपुर

......4

मंत्री अध्यक्ष कोषाध्यक्ष
श्री पुष्कर गौतम आश्रम ट्रस्ट समिति
पुष्कर–अजमेर (राज.)

(छ) मध्य भारत(5) संवर्धित(8)

मध्यप्रदेश(6) छत्तीसगढ(2)

1. श्री प.उत्सवलाल जी तिवाडी, खांचरोद
2. श्री प.हरिशंकर जी व्यास, रतलाम

(ज) महाराष्ट्र गुजरात(4) संवर्धित(5)

गुजरात(2) महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली, दमनदीप(3)

1. श्री प.शिवकरण जी सिंवाल, शोलापुर
2. श्री प.गणेशीलाल जी पंचारिया, जलगांव

(झ) आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरल (3), संवर्धित(5)

आन्ध्रप्रदेश(1) तेलंगाना(2) कर्नाटक(1) केरल(1)

1. श्री प.मांगीलाल जोशी, सुरापुर
2. श्री प.शिवराम तिवाडी, कन्नड

(ण) तमिलनाडु(1) संवर्धित(2)

तमिलनाडू(1) पाण्डेचेरी, अण्डमान निकोबार(1)

(ट) पश्चिम बंगाल(1) त्रिपुरा मिजोरम(1)

(ठ) बिहार, झारखण्ड, आसाम, मेघालय, मणीपुर, नागालैण्ड, सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश(2)

(ड) उडीसा(1)

2. (I) अगर किसी विशेष कारणवश सम्बन्धित प्रान्त, जिला से ट्रस्टी पद पर नियुक्ति नही हो पाती है। तो उसके समीपस्थ प्रान्त जिला से उक्त ट्रस्टी पद की पूर्ति साधारण सभा की स्वीकृति पश्चात की जा सकेगी।

(II) ट्रस्टी पद की पात्रता :- न्यासी बनने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु 40वर्ष की रहेगी। वह गुर्जर गौड ब्राह्मण हो एवं उनकी स्वजातिय सेवा की समुचित पृष्ठभूमि हो जैसे आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आधार।

धारा-3 - अब भविष्य मे उपरोक्त जाति बन्धुओं का ट्रस्ट ही इस आश्रम के समस्त कार्य संचालन, आय-व्यय, हानि-लाभ, हिसाब किताब के लिये उत्तरदायी होवेगा। अखिल भारतवर्षिय गुर्जर गौड ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष पदेन आमंत्रित सदस्य होगे।

(3) (1) ट्रस्ट समिति का निवर्तमान अध्यक्ष ट्रस्ट के आजीवन सरंक्षक रहेगे एवं ट्रस्टाध्यक्ष सहित समस्त प्रबन्धकारिणी समिति को समय - समय पर अपना, सद्परामर्श एवं मार्गदर्शन ट्रस्ट हित मे सदा प्रदान करते रहेगे।

धारा-4 - इस ट्रस्ट के सभी सदस्य चिरस्थायी रहेगे किन्तु निम्नाकित कारणो मे से किसी भी एक कारण के उपस्थित हो जाने पर किसी भी ट्रस्टी का पृथककरण अनिवार्य हो जायेगा।

(क) स्वेच्छापूर्वक त्याग पत्र

(ख) मृत्यु

(ग) विक्षिप्त या पागल हो जाना, मृर्गी, राजयक्ष्मा कोढ, फिरंग , उपदंश , आदि जघन्य तथा अन्य असाध्य रोगो से ग्रसित हो जाना ।

.....5

श्री पुष्कर गौड़ आश्रम ट्रस्ट समिति
पुष्कर-अजमेर (राज.)

(घ) राज्य द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया जाना अथवा ऐसे किसी अपराध में दंडित कर दिया जाना जो कि ट्रस्ट की दृष्टी से अक्षम्य तथा निन्दनीय समझा जावे।

(ड़) अन्य ट्रस्टियों द्वारा बहुसम्मति से अविश्वासी, अंवाछनीय, चरित्र भ्रष्ट बेईमान व संस्था का अहित चिन्तक घोषित कर दिया जाना।

(च) कोई भी ट्रस्टी साधारण सभा के निर्णयो एवं विधान की आवमानना कर न्यायालय मे वाद दायर कर आश्रम को हानी पहुंचाता है तो ऐसे ट्रस्टी की सदस्यता (ट्रस्टी पद) साधारण सभा मे निर्णय पश्चात समाप्त की जा सकेगी।

(छ) कोई पदाधिकारी सदस्य प्रबन्धकारिणी समिति की लगातार तीन बैठको मे अनुपस्थित रहता है तो प्रबन्धकारिणी की सदस्यता स्वत: समाप्त हो जायेगी।

(ज) कोई भी ट्रस्टी साधारण सभा की लगातार तीन बैठको मे बिना अध्यक्ष की अनुमति के अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता (ट्रस्टी पद) समाप्त की जा सकती है।

धारा 5- उपरोक्त धारा चार मे वर्णित किसी भी कारण से रिक्त हुए ट्रस्टी पद की पूर्ति सम्बन्धित प्रान्त, जिला, अजमेर शहर जहां से पद रिक्त हुआ है वही से की जावेगी। रिक्त ट्रस्टी पद की पूर्ति हेतु प्रबन्धकारिणी समिति सम्बन्धित प्रान्त, संभाग, जिला, अजमेर शहर के ट्रस्टीयों से प्रस्ताव आमंत्रित करेगी। बहुसम्मत ट्रस्टी पदके प्रस्ताव को साधारण सभा के आगामी अधिवेशन मे स्वीकृत करवाना आवश्यक होगा।

धारा-6 :- इस ट्रस्ट समिति का स्थायी कार्यालय श्री पुष्कर गौतमाश्रम, पुष्कर मे रहेगा। किन्तु कार्य संचालन की सुविधा की दृष्टि से अन्यत्र भी अस्थाई रूप से खोला जा सकेगा। लेकिन आश्रम का लेखा पुष्कर स्थित राष्ट्रीकृत बैंक मे ही रहेगा।

धारा-7 :- ट्रस्ट समिति अपना समस्त कार्य हिसाब किताब, लिखापढी आदि राज्य भाषा हिन्दी मे विषेशतया करेगी। परन्तु ट्रस्ट हित मे आवश्यक होने पर अन्य भाषा (अंग्रेजी) मे भी कर सकेगी।

धारा-8 :-(i) कार्य संचालन की सुविधा के लिये ट्रस्टीगण अपने मे से ही, 21 सदस्यों की प्रबन्धकारिणी समिति का गठन करेंगे इसमें अध्यक्ष , वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष मंत्री, उप मंत्री, व दो अंकेक्षक होंगें शेष 12 प्रबन्धकारिणी सदस्य रहेगें जिनका कार्यकाल अधिक से अधिक तीन वर्ष का रहेगा परन्तु नवनिर्वाचन में पुन: निर्वाचित हो सकेंगें। प्रबन्धकारिणी समिति के ये 9 पदाधिकारी ट्रस्ट समिति के भी पदाधिकारी होंगे। प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष निर्धारित है परन्तु विशेष परिस्थितिवश, अपरिहार्य कारणो से ट्रस्ट समिति की साधारण सभा का आयोजन असंभव हो तो प्रबन्धकारिणी समिति अधिकतम 6 माह तक समयावधि मे वृद्वि करने के लिये अधिकृत रहेगी।

(ii) एक ही व्यक्ति अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, पदों पर लगातार दो कार्यकाल से अधिक नही रह सकेंगे।

.....6

श्री पुष्कर गौतम आश्रम ट्रस्ट समिति
पुष्कर-अजमेर (राज.)

धारा-9 इस आश्रम की आय की समस्त रकम कोई भी पदाधिकारी ट्रस्टी व अधिकार प्राप्त संग्रहकर्ता समुचित उपायो द्वारा ट्रस्ट समिति द्वारा निर्धारित विश्वस्त बैंक में तुरन्त ही जमा करा देंगे। सभी प्रकार के जमा खर्च के लिये अध्यक्ष, महामंत्री , कोषाध्यक्ष, सम्मिलित रूप से उत्तरदायी होगे।

धारा 10- बैंक में खाता श्री पुष्कर गौतमाश्रम ट्रस्ट समिति पुष्कर के नाम से खोला जायेगा तथा राशि विनिमय अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष मे से किन्ही दो के संयुक्त हस्ताक्षरो द्वारा ही किया जा सकेगा।

धारा 11- चैक हुन्डी दस्तावेज आदि प्रमुख कागजो पर ट्रस्ट समिति की सील मोहर लगाना आवश्यक होगा।

धारा 12 - इस ट्रस्ट के ध्येय तथा उद्देश्य निम्नांकित होगें।

क महर्षि की दैनिक पूजा, प्रार्थना, वन्दना, तथा पर्व विशेष के अवसरो पर समुचित उत्सव, यज्ञ, सत्संग कथा वार्ता, उपदेश , प्रवचन आदि का सुप्रबन्ध करना, कराना।

ख आश्रम के अपूर्ण निर्माण कार्य को पूरा करना, कराना, तथा आवश्यकतानुसार सन्निकट व अन्यत्र नई भूमि खरीद कर या दान भेंट आदि अन्यान्य उपायों द्वारा प्राप्त करके उस पर नये भवन कूप वाटिका आदि निर्माण करना, कराना।

ग देश विदेश के विभिन्न, प्रान्तो, नगरो तथा ग्रामो मे बसे हुये समाज के प्रीतिपूर्ण संगठन तथा उनके अध्यामिक, सामाजिक आर्थिक, मानसिक व शारीरिक कल्याण के यथा साध्य साधन जुटाना।

घ. उपरोक्त धारा ग मे वर्णित उद्वेश्यो की पूर्ति के निमित्त आश्रम मे भारतीय संस्कृति के अनुरूप धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, शारीरिक तथा कला कौशल और वाणिज्यिक व्यवसाय तकनीकि, मेडिकल, पेरा मेडिकल, वेद ज्योतिष, संस्कृत विद्यालयी, महाविद्यालयी शिक्षण, प्रशिक्षण सम्बन्धी सदशिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिये विद्यालय, महाविद्यालय, छात्रावास, पुस्तकालय, ब्रह्मचार्याश्रम, वानप्रस्थाश्रम, व्यायाम शाला, विश्राम गृह, अतिथिशाला आदि के लिये भूमि क्रय करना, भवन निर्माण करवाना, संस्थाऐ खोलना एवं खुलवाना व उनका संचालन करना। उपरोक्त संस्थाओं के लिये ट्रस्ट समिति के अधीन सदस्यो का मनोनयन कर संचालन समिति गठित करना।

ड. समय-समय पर आश्रम मे पधारने वाले यात्रियो व महानुभावों की सुख सुविधा, निवास, आतिथ्य, तथा आदर सत्कार आदि का यथा संभव समूचित प्रबन्ध करना।

च. ज्ञान विज्ञान विस्तारार्थ दैनिक, साप्ताहिक, अर्द्ध साप्ताहिक पाक्षिक, मासिक व त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक व वार्षिक पत्र पत्रिका तथा समयोपयोगी सद्साहित्य प्रकाशित करना, कराना, तदर्थ मुद्रणालय चालू करना, कराना।

.....7

श्री पुष्कर गौतम आश्रम ट्रस्ट समिति
पुष्कर-अजमेर (राज.)

छ. उपरोक्त धारा क, ख, ग, घ, ड, च मे वर्णित उद्वेश्यो की पूर्ति तथा आश्रम के सफल सुचारू संचालन के निमित सतत परिश्रम करके देश विदेश की समस्त गुर्जर गौड ब्राह्मण जनता से दान शुल्क दक्षिणा, भेट,चन्दा आदि के रूप मे अपीलो, आवेदन पत्रों व अन्यान्य उपायों द्वारा इतना पुष्कल द्रव्य प्राप्त करके किसी राष्ट्रीयकृत बैंक मे जमा करा देना, जिसके ब्याज मात्र से ही इतनी चल व अचल सम्पति प्राप्त करके एकत्रित कर देना, जिसकी आय मात्र से ही उक्त उद्वेश्य सदासर्वदा के लिये चिरकाल पर्यन्त परिपूरित होकर संचालित होते रहे।

ज. आश्रम मे नियुक्त वेतन भोगी पुजारी अन्यान्य कर्मचारियों तथा अवैतनिक कार्यकर्ताओं के समस्त कार्यो की देखभाल करना।

धारा-13 :- इस ट्रस्ट के पदाधिकारी तथा अन्यान्य सदस्यो के निम्नाकित कर्तव्य तथा अधिकार होगे।

अध्यक्ष :-

(क) ट्रस्ट समिति तथा प्रबन्धकारिणी समिति के समस्त अधिवेशनो/बैठको का सभापतित्व करना तथा उन बैठको/अधिवेशनों मे होने वाले समस्त कार्य नियमानुकूल अनुशासन पूर्वक संचालन करना, कराना।

(ख) अन्य पदाधिकारियो तथा वेतनभोगी या अवैतनिक कर्मचारियों या अन्य ट्रस्टीयों द्वारा सम्पादित कार्यो तथा रोकड बडी खातों रजिस्ट्रों व कागजपत्रो आदि का समय-समय पर निरीक्षण तथा पडताल करते रहना।

(ग) आश्रम मे होने वाले समस्त निर्माण कार्यो तथा अन्यान्य कार्यो का समय-समय पर निरीक्षण करते रहना।

(घ) संस्था की समस्त स्थावर जंगम सम्पति तथा कोष आदि का समय-समय पर निरीक्षण व देखभाल करते रहना।

(ड) आश्रम की समस्त आय की पूरी पूरी जांच पडताल तथा समसत व्ययो की स्वीकृत अनुमान पत्र (बजट) की सीमा मे स्वीकृति प्रदान करना।

(च) ट्रस्ट समिति तथा प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा निर्णित कार्यो में आवश्यकता पडने पर महामंत्री को बैंक से रकम निकलवाने के लिखित विशेष अधिकार देना।

(छ:) संस्था के समस्त पदाधिकारियो तथा वेतन भोगी और अवैतनिक कर्मचारियो व कार्यकर्ताओं के चरित्र तथा कार्य संचालन पर दृष्टि रखना और उनकी कर्तव्य परायणता तथा कार्यनिपुणता के लिये समयोचित प्रोत्साहन, पुरस्कार, वेतन वृद्वि पारितोषिक आदि और त्रुटियो व दोषो के लिये दण्ड व्यवस्था करना, कराना।

(ज) वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, उपमंत्री द्वारा प्रदत्त दण्ड व्यवस्था द्वारा दंडित व्यक्तियो की अपील पर न्यायोचित निष्पक्ष निर्णय प्रदान करना।

......8

मंत्री कोषाध्यक्ष अध्यक्ष
श्री पुष्कर गौतम आश्रम ट्रस्ट समिति
पुष्कर-अजमेर (राज.)

महामंत्री :-

(क) ट्रस्ट समिति तथा प्रबन्धकारिणी समिति के नियमित कार्यालय (ऑफिस) का सुचारू संचालन तथा निरीक्षण करना, कराना।

(ख) ट्रस्ट समिति तथा प्रबन्धकारिणी समिति के समस्त अधिवेशनो/बैठको का समूचित प्रबन्ध करना, कराना तथा अन्यान्य ट्रस्टीयो के सहयोग से अध्यक्ष जी की अनुमति द्वारा कार्यक्रम-एजेण्डा व प्रस्ताव निश्चित करना, कराना।

(ग) स्वीकृत अनुमान पत्र अनुकूल आय-व्यय का विवरण सही सही रखना, रखाना।

(घ) आश्रम के समस्त विभागो के प्रबन्ध तथा हिसाब किताब की पूरी पूरी देखभाल ओर जांच पडताल करना,कराना व आय-व्यय निरीक्षक द्वारा जांचे हुए हिसाब को अधिकृत चार्टैड अकाउटेन्ट से पुन: जंचवाना।

(ड) प्रतिवर्ष आश्रम की समस्त चल अचल सम्पति का भली प्रकार निरीक्षण करके टूट फुट तथा न्यूनाधिक कार्यो की विस्तृत सूचना व गत वर्ष के आय-व्यय का नियमानुकूल नियुक्त आय-व्यय निरीक्षकों तथा चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा जांच पडताल तथा साधारण सभा द्वारा पास किया हुआ पूरा-पूरा विवरण कार्तिक पूर्णिमा या उसके सन्निकट तिथि पर आश्रम मे पधारे हुए जाति बन्धुओं के समक्ष अवलोकनार्थ तथा विवेचनार्थ उपस्थित करना, उनके द्वारा उन पर की गई आलोचनाओं का समूचित समाधान करना तथा उन्हे जातिय पत्रों मे व विवरण पत्रिका द्वारा प्रकाशित करना, कराना।

(च) आगामी वर्ष के आय-व्यय का अनुमान पत्र तैयार करके ट्रस्ट समिति के वार्षिक अधिवेशन मे स्वीकृत कराना।

(छ) स्थायी कर्मचारियो का वेतन तथा अस्थाई कर्मचारियो का पारिश्रमिक आदि ओर अन्यान्य व्यय की रकम स्वीकृत अनुमान पत्र की निर्धारित सीमा मे भुगातन करना, कराना।

(ज) ट्रस्ट समिति तथा प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत निर्णयो तथा प्रस्तावों को कार्य रूप मे परिणित करना, कराना और उनकी आगामी अधिवेशनो/बैठको मे सूचना देना तथा समाज के विभिन्न अधिवेशनो द्वारा प्रेषित महत्वपूर्ण सुझावो को ट्रस्ट समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करना।

(झ) आश्रम की समस्त स्थावर तथा जंगम सम्पति और कोष आदि की समय-समय पर जांच पडताल ओर निरीक्षण करते रहना।

(त्र) कर्मचारियो की कर्तव्य परायणता तथा उनके कार्यनैपुण्य पर उन्हे समय-समय पर प्रोत्साहन तथा उनकी त्रुटियो और दोषो या अपराधो पर दण्ड व्यवस्था करना, कराना।

(ट) कर्मचारियो के अवकाश सम्बन्धी तथा अन्यान्य आवेदन-पत्रो पर स्वीकृति तथा निर्णय प्रदान करना।

(ठ) समय-समय पर आवश्यकतानुसार कर्मचारियो की नियुक्ति व पृथककरण करना,कराना तथा स्थायी कर्मचारियो की नियुक्ति या पृथककरण ट्रस्ट समिति द्वारा करवाना।

(ड) रसीद, चैक व हुंडी आदि पर कोषाध्यक्ष के साथ यथा स्थान हस्ताक्षर करना तथा आवश्क कागजातो व दस्तावेजो पर अध्यक्ष के साथ हस्ताक्षर करना।

.....9

श्री पुष्कर गौतम आश्रम ट्रस्ट समिति
पुष्कर-अजमेर (राज.)

(ढ) ट्रस्ट समिति तथा प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा निर्णित कार्यो के लिये अपने अधिकार से अधिक रकम की आवश्यकता पडने पर समय-समय पर अध्यक्षजी से विशेषाधिकार प्राप्त करना।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, उपमंत्री :-

अध्यक्ष या महामंत्री की अनुपस्थिति मे उनके सभी अधिकार व कर्तव्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष या मंत्री को प्राप्त होगे तथा अध्यक्ष व महामंत्री द्वारा बताये हुए कार्यो को करते हुए उन्हे पूर्ण सहयोग देते रहना, उनका कर्तव्य होगा। वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं मंत्री की अनुपस्थिति मे ये अधिकार उपाध्यक्ष व उपमंत्री को प्राप्त होगे।

कोषाध्यक्ष :-

(क) रसीद चैक हुंडियों आदि पर महामंत्री के साथ हस्ताक्षर करना, बैंक में रकम जमा करवाना व निकालना तथा आय-व्यय का हिसाब विवरण सहित व्यवस्थित रखना।

(ख) प्रति वर्ष आय-व्यय निरीक्षक, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट व महामंत्री को हिसाब जॉचने व जॅचवाने में पूर्ण सहयोग देना।

अंकेक्षक- आश्रम के समस्त आय-व्यय के विवरण पत्रों, रसीदो, वाउचरो तथा आय-व्यय सम्बन्धी कागज पत्रों, बहीखातो, रजिस्ट्रो ओर बर्तन बासणो, आभूषणो तथा समस्त वस्तुओं की सूची से मिलान तथा जांच पडताल करके उन्हे सही या गलत प्रमाणित करना चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट की जांच व महामंत्री द्वारा उपस्थित किये जाने से पूर्व वार्षिक आय-व्यय के विवरण पत्र की पूरी तरह जांच करना।

अन्यान्य ट्रस्टी :-

(क) महामंत्री द्वारा विचारार्थ उपस्थित किये हुए सभी विषयो पर विचार विनिमय करके निश्चित निर्णय करना तथा तदनुसार प्रस्ताव स्वीकृत करना, कराना और उन स्वीकृत प्रस्तावों को कार्य रूप मे परिणित करना, कराना।

(ख) समस्त स्वीकृत प्रस्तावो के अनुसार तथा तद्नुकूल महामंत्री तथा अन्यान्य सहयोगियो द्वारा कार्य सम्पादित करना, कराना तथा परस्परिक सहायता प्रदान करना, कराना।

(ग) सभी निर्णय तथा स्वीकृत प्रस्ताव नियमित रजिस्टरो एवं बहियो मे अंकित कराना तथा आगामी अधिवेशनो/बैठको मे उनके कार्य रूप मे परिणित किये जाने के फलाफल पर विचार विनिमय करके निर्णय तथा संशोधन या पूर्ण स्वीकृति प्रदान करना, कराना।

(घ) ट्रस्ट द्वारा संचालित समस्त संस्थाओ के हितार्थ तथा उन्नति के लिये समय-समय पर उपयोगी तथा उपयुक्त प्रस्ताव तथा कार्यक्रम आदि निश्चित करना तथा उनकी सूचना महामंत्री को आगामी अधिवेशनो के एक पक्ष पूर्व प्रेषित करा देना ताकि वे सुझाव उसी अधिवेशन के कार्यक्रम (एजेण्डा) मे सम्मिलित किये जा सके। अत्यन्त आवश्यकता होने तथा अनिवार्य कारणो से उत्पन्न परिस्थिति मे ऐसे प्रस्ताव एक पक्ष की निश्चित अवधि के पश्चात भी प्रेषित किये जा सकेगे तथा अध्यक्ष द्वारा उन पर स्वीकृति प्रदान कर देने पर उन्हे भी उसी अधिवेशन के कार्यक्रम मे सम्मिलित किया जा सकेगा। अस्वीकृत प्रस्तावों के सम्बन्ध मे भी आवश्यक समझे तो उनकी पूछताछ करना, कराना।

(ड) पारस्परिक पूर्ण सहयोग सद्भावना प्रेम प्रीति सुदृंढ संगठन को चिरस्थायी रखना, रखाना।

.....10

श्री पुष्कर गौतम आश्रम ट्रस्ट समिति
पुष्कर-अजमेर (राज.)

14. इस ट्रस्ट समिति का अधिवेशन वर्ष मे एक बार कार्तिक पूर्णिमा तथा उसकी सन्निकट तिथियो पर श्री गौतमाश्रम पुष्कर मे अवश्य कराना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त समिति के अधिवेशन आवश्यकतानुसार वर्ष मे एक से अधिक बार भी श्री पुष्कर गौतमाश्रम मे या सुविधानुसार अन्यत्र भी किये जा सकेगे।

14.1 ट्रस्ट की प्रबन्धकारिणी समिति की वर्ष मे कम से कम चार बैठके आयोजित करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त आवश्यकता होने पर चार से अधिक भी बैठके आयोजित की जा सकेगी।

15. धारा 27 मे वर्णित व्यवस्था के अतिरिक्त ट्रस्ट समिति तथा प्रबन्धकारिणी समिति के सभी विषय बहु सम्मति से ही निर्धारित तथा निश्चित किये जाया करेगे। सम्मति बहुधा हाथ उठाकर ही दी जाया करेगी। विवाद उपस्थित हो जाने पर गूढ पत्रों द्वारा भी निर्णय किया जा सकेगा। अध्यक्ष को मतदान नही देना होगा। किन्तु विवादास्पद विषय पर उभय पक्ष के बराबर मतदान होने पर अध्यक्ष के निर्णयात्मक मत (कास्टिंग वोट) द्वारा निर्णय किया जायेगा।

16. प्रत्येक ट्रस्टी को स्वयमेव उपस्थित होकर किसी भी विषय पर केवल मात्र एक ही मत देने का अधिकार होगा।

17. अनुपस्थिति की दशा मे ट्रस्टीगण अपने मतदान के अधिकार से वंचित रहेगे।

18. मतभेद होने या रहने की दशा मे बहु सम्मति, सर्व सम्मति अथवा अध्यक्ष के निर्णयात्मक मत द्वारा निर्णित सभी प्रस्ताव तथा निश्चित मत प्रत्येक ट्रस्टी को मान्य तथा स्वीकार कर लेना अनिवार्य होगा।

19. आवश्यकता होने पर ट्रस्टीगण अपने मे से या निश्चित ट्रस्टीयो के अतिरिक्त स्वजातीय बन्धुओं की उपसमिति किसी कार्य विशेष के लिये नियुक्त कर सकेगे। किन्तु उक्त उपसमिति द्वारा किये गये निर्णय प्रबन्धकारिणी समिति मे पुनः प्रस्तुत किये जाकर स्वीकृत हो जाने पर ही कार्य रूप मे परिणित किये जा सकेगे।

20. प्रबन्ध, कार्य संचालन तथा दण्ड व्यवस्था पर अध्यक्ष या महामंत्री द्वारा अपीलों पर किये गये निर्णयो पर पुर्नविचार करके अपना निर्णय देने का ट्रस्ट समिति को अधिकार होगा और वह निर्णय तब अन्तिम निर्णय समझ लिया जावेगा।

21. ट्रस्ट समिति द्वारा अपने अधिवेशन मे स्वीकृत आय-व्यय अनुमान पत्र की योजनानुसार अध्यक्ष व महामंत्री वित्तीय सत्र मे जैसे जैसे, जिन-जिन मदो मे आवश्यक समझेगे रकम खर्च कर सकेगे। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यो के लिये अध्यक्ष अधिक से अधिक 50,000 रूपये, महामंत्री 25,000 रूपये तक चालू वर्ष मे व्यय कर सकेगे, जिसकी स्वीकृति समिति के आगामी अधिवेशन मे ले लेना अनिवार्य होगा। आश्रम हित मे इससे अधिक रकम प्रबन्धकारिणी समिति की स्वीकृति से व्यय की जा सकेगी।

22. पूर्व धारा 9 तथा धारा 21 के अनुरूप अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष या अन्य कर्मचारी अपने पास निर्धारित रकम से अधिक रकम किसी भी अवस्था मे नही रख सकेगा।

.....11

मंत्री अध्यक्ष कोषाध्यक्ष
श्री पुष्कर गौतम आश्रम ट्रस्ट समिति
पुष्कर-अजमेर (राज.)

23. आश्रम तथा उससे संलग्न भूमि तथा भवन आदि के बेचने या बन्धक रखने या दान बख्शीश या भेंट करने या अन्यान्य प्रकार से इधर उधर करने का ट्रस्ट को अथवा ट्रस्ट के अतिरिक्त किसी इतर व्यक्ति को किसी भी दशा मे कोई अधिकार न होगा किन्तु आश्रम मे भेंट, दान दक्षिणा, बख्शीश आदि मे प्राप्त की गई अन्यत्र भूमि, भवन तथा अन्यान्य स्थावर सम्पति आवश्यकता होने पर अथवा प्रबन्ध की सूविधा तथा आश्रम कि हित की दृष्टि से ट्रस्ट द्वारा बेची-बन्धक रखी या अदला बदली मे परिणित की जा सकेगी।

24. ट्रस्ट के अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, उपमंत्री, कोषाध्यक्ष, आय-व्यय निरीक्षक, ट्रस्टी के विरूद्व धारा 4 के वर्णित कारण से अथवा अन्यान्य कारणो से बहुसम्मति से ट्रस्टीयो द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने पर उस पदाधिकारी या ट्रस्टी को ट्रस्ट की सदस्यता से तुरन्त निर्विरोध पृथक हो जाना अनिवार्य होगा। यदि पृथक होने वाला सदस्य पदाधिकारी हो तो उस पद की पूर्ति उसी अधिवेशन मे अन्य ट्रस्टीयो मे से कर ली जायेगी और कार्य भार तथा अधिकृत कागज पत्र, हिसाब-किताब, अन्यान्य सामान आदि उसी समय सम्भला देना आवश्यक होगा। इस प्रकार के रिक्त स्थान की पूर्ति अगले अधिवेशन मे कर लेना अनिवार्य होगा।

25. (1) ट्रस्ट समिति के किसी भी अधिवेशन में सभी विषयों पर धारा 27 में वर्णित विषयो को छोडकर निर्धारित सदस्यों की संख्या में 1/3 व्यक्तियों की उपस्थिति कोरम के लिए अनिवार्य होगी। कोरम पूरा न होने की दशा में अधिवेशन आगामी सुविधाजनक समय तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। स्थगित अधिवेशन में निश्चित कोरम का प्रतिबन्ध लागू नही होगा।

25 (2) प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक में गणपूर्ति 1/3 सदस्यो की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

26. ट्रस्टीगण सभी विवादास्पद विषय अनुशासन में रहकर पारस्परिक सद्भाव तथा प्रेमभाव से ही सदैव निपटाने के लिये ही बाध्य होगे। मतभिन्नता के कारण वे किसी प्रकार की पारस्परिक कलह या मनमुटाव का कारण किसी भी दशा में उत्पन्न नही कर सकेगें।

27. उपरोक्त पंजीबद्व (रजिस्टर्ड) विधान के नियमों, उपनियमों मे किसी भी प्रकार का संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन न्यूनाधिकत्व या अदला बदली करने के लिए ट्रस्ट समिति के अधिवेशन/साधारण सभा मे कम से कम दो तिहाई ट्रस्टियों की निश्चित सम्मति अनिवार्य होगी। इस हेतु डाक द्वारा प्राप्त सम्मति भी मान्य होगी।

28. प्रत्येक ट्रस्टी को सदस्य बनने पर निम्नांकित शपथ लेना आवश्यक होगा :-

मै (नाम) .....

आत्मज .....गौत्र.....

निवास स्थान.....सर्व समर्थ सर्वज्ञ भगवान के समक्ष शपथ लेता हुँ कि मै ट्रस्ट समिति द्वारा निर्धारित समस्त नियमोपनियमों का यथा विधि पूर्ण अनुशासन में रहते हुए प्रेमपूर्वक पालन करूंगा तथा श्री पुष्कर गौतमाश्रम के हित साधन मे मन, वचन व कर्म से सदा सर्वदा उद्यत रहूंगा।

मंत्री अध्यक्ष
श्री पुष्कर गौतम आश्रम ट्रस्ट समिति
पुष्कर-अजमेर (राज.)